


सुधारित गांव नमुना नंबर 1 (क) 1 ते 14

| गांवाचे नांव :- जुवाणी रे. | सजचे नांव:- मालदा | | तालुका:- तळोदा | | | | जिल्हा:- नंदुरबार | | | | नजराणा व दंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|--------|--|--------------------------------------|--|---|---|--|--|----------------------------------|------|---|
| | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नांव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शतीबर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहित केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नांव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ.) | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | शासनास भरावी लागणारी अर्जात रक्कम / नजराणा / कब्जेहक्काची रक्कमेचा तपशिल | | | | सक्षम प्राधिकाऱ्याचे विक्री परवानगी / शर्तभंग प्रकरणी आदेश पारित झाले असल्यास त्याचा क्रमांक व दिनांक |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 32 ग अन्वये विक्री झालेल्या जमीनी | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमीनी (देवस्थान जमीनी वाढून) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत विविध योजनेतर्गत प्रदान/अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमीनी (भुमहीन, शेतमजुर / स्वातंत्र्य सैनिक / मागासवर्गीय / माजी, आजो सैनिक यांना प्रदान जमिनी) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत विविध योजनेतर्गत प्रदान/अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमीनी (गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक आस्थापना, शैक्षणिक संस्था, विशेष वसाहत प्रकल्प इ.) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा अधिनियम 1961 अंतर्गत वाटप केलेल्या जमीनी | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | महानगरपालिका नगरपालिका व विविध प्राधिकरण यांच्या विकास आराखड्यास समाविष्ट असलेल्या जमीनी अथवा ग्रामपंचायतीकडे गुरचरण अथवा इतर प्रयोजनासाठी वर्ग केलेल्या जमीनी | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | देवस्थान इनाम जमीनी | | | | | | | | | | | | | |

गट नं. 1/3, 5/3, 7/1ब, 7/2ब, 8/1, 8/2, 8/3, सर्व गट नंबरावर सरकार आहे.

| गावाचे नांव :- जुवाणी रे. | सजेचे नांव:- मालदा | | | तालुका:- तळोदा | | | जिल्हा:- नंदुरबार | | | शसनास भरावी लागणारी अनर्जित रकम / नजराणा / कब्जेहक्काची रकमेचा तपशिल | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | नजराणा व दंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अंमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|--|--|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|------|
| | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नाव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शतंबर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहित केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नाव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ. | जमिन | | | | | |
| अ.नं | जमिनीचा प्रकार | भुमापन क्रमांक | भोगवटदाराचे नाव | क्षेत्र हे.आर | आकारणी | जमिन कोणत्या शतंबर प्रदान करण्यात आली आहे. | जमिन प्रदानाचे आदेश क्रमांक व दिनांक | जमिन ज्या कारणास्तव व निहित केली आहे त्या उपयोगाचे प्रयोजन | निहित केलेल्या प्राधिकरणाचे नाव (उदा. नगरपालिका / ग्रामपंचायत / संस्था / व्यक्ती इ. | जमिन हस्तांतरणास परवानगी देण्यात सक्षम प्राधिकारी | शसनास भरावी लागणारी अनर्जित रकम / नजराणा / कब्जेहक्काची रकमेचा तपशिल | नजराणा व दंड भरल्याची रक्कम व अधिकार अभिलेखात अंमल घेतला आहे काय? | तपासणी अधिकारी व तपासणीचा दिनांक | शेरा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 20 खाली जिल्हाधिकारी यांनी घोषित केलेल्या जमिनीचा तपशिल उदा. सार्वजनिक रस्ता, उपवन समुदायचे पात्र, बंबारे, आढ, नाले, कालवे, जलमार्ग याचा तपशिल | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून जिल्हाधिकार्यांनी प्रदान केलेले इमारत भुखंड/ ब सत्ता प्रकार जमिनीचा तपशिल | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | खंडकरी यानी धारण केलेल्या तथापि वाटप होऊन 10 वर्ष पूर्ण न झालेल्या जमिनीचा तपशिल | | | | | | | | | | | | | |

तलाठी सोजे  तालुका तळोदा जि नंदुरबार

मंडळ अधिकारी
नंदुरबार

 तहसिलदार तळोदा